न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 127 / 2016

1. फूसाराम पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी सांवतसर हाल 7 के.एच.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. लिछमा पुत्री आदुराम पत्नी रघुवीर जाति जाट निवासी भुरियावाला चक गांव बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। ——— अपीलार्थीगण

बनाम

1. बृजलाल पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी 7 के.एच.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना। —— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घड़साना
दिनांक 29.04.2006

उपस्थितः—

श्री विक्रम विश्नोई, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 14.12.2017

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी घड़साना के पत्र कमांक आवंटन / 05 / 242 दिनांक 03.05.2006 जो तहसीलदार घड़साना को उनके पत्र कमांक 207 दिनांक 29.04.2006 के सन्दर्भ में लिख गया कि आवंटी द्वारा बकाया राशि मय ब्याज जमा करवा दिये है। अतः आवंटी का रकबा चक 7 के.एच.एम. के मु.न. 235 / 39 का 25 बीघा बहाल किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

14/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया चक 7 के एच. एम. के प.न. 235/39 के कि.न. 1 से 21 की 21 बीघा भूमि अपीलार्थी के पिता आदूराम को दिनांक 12.09.1976 को पुख्ता आवंटन कर और कब्जा मौका पर सोप दिया एवं किश्तों की राशि अपीलार्थी के पिता द्वारा जमा करवा दी रेस्पो. को अन्य भूमि आवंटन हुई थी । रेस्पो. को प.न. 235/39 के कि.न. 1 से 21 की 21 बीघा कभी आवंटन नहीं हुई । मौका पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया है। अपील पेश करने की अनुमाति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश किया है स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पो. के पिता को आवंटित थी एवं किश्तों की राशि जमा कराने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाकर नियमानुसासर रेस्पो. का आवंटन बहाल किया गया है जिसमें कोई विधिक भूल नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलार्थीगण ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर नहीं किया हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 29.04.2006 के विरूद्ध दिनांक 09.06.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने

14/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रत्युतत्र मय शपथ पत्र पेश करके नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी घड़साना के निर्णय दिनांक 29.04.2006 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट के पूर्वज को आवंटित उसके नाम दर्ज कृषि भूमि से नाम विलोपित किया है जो बाले बाले अपीलांट को सुने बगैर किया है। अतः आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिस पत्रावली द्वारा अपीलांट का नाम रेकार्ड से हटाया गया है वह मु.न. व सन् 20 नाम सीगा –रकबा बहाली प्रस्तुत करने की तारीख 25.04.06 कुल पृष्ठ 11 ग्यारह पृष्ठ होकर बृजलाल पुत्र लेखराम नायक बनाम सरकार है जिसमें निर्णय की तिथि का कालम खाली है जिस पर इस न्यायालय द्वारा लाल स्याही से प्रश्नवाचक चिन्ह (?) लगाया तथा पत्रावली पर किसी तरह से कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है। यही नहीं जिस बृजलाल पुत्र लेखराम के आवेदन का हवाला देकर पत्रावली **open** हुई है वह सरबरक पर अंकित 11 पृष्ठों में आवेदन पत्र शामिल नहीं है तथा अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 1 का संदर्भित अंश है कि अतः आज्ञा हो तो रिकार्ड में मु.न. 235/39 का रिकार्ड में आदूराम व बृजलाल का नाम हटाया जाकर प्रार्थी से अब तक की बकाया किश्तों की राशि जमा करवाने हेतु तहसीलदार को लिख दिया जावे एवं उस पर उपखंड अधिकारी द्वारा **Yes** लिखकर खातेदार काश्तकार का नाम हटाना पूर्ण रूपेण **Autocratic order** है जिसमें रेकार्डेड खातेदार, जिसने आवंटन के पश्चात किश्तें जमा करवाई हैं उसे अधी. न्यायालय ने सुनने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की, उसे पक्षकार बनाये बगैर, सुने बगैर सिविल प्रक्रियां संहिता के आदेश 1 नियम 9 का घोर उल्लघंन कर आदेश पारित किया अपितु विधि द्वारा स्थापित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 जिसमें दावा, जबाव दावा, तनकियात कायम कर, साक्ष्य संग्रहण एवं गुणावगुण के आधार पर किसी के नाम की खातेदारी हटाई या घोषणा की जाती है का उलंघान कर पीठासीन अधिकारी (उपखंड अधिकारी) एवं रेस्पो. के मध्य किसी बड़ी दुरभी संधि का आभास कराता है जिसे यह न्यायालय न केवल **illegal decision** मानता

14/12/17
(जिला अपील प्राधिकारी)
श्रीगंगानगर (राज.)

है अपितु ऐसा निर्णय पारित करना Beyond Jurisdiction and Extra-constitutional भी मानता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का हनन है।

अतः अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2006 व अनुवृति आदेश क्रमांक आवंटन 05/242 दिनांक 03.05.2006 Abinitio Void होकर निरस्त किया जाता है तथा निर्णय दिनांक 29.04.2006 व 03.05.2006 निष्प्रभावी घोषित किया जाता है तथा इन आदेशों की पालना में अगर कोई नामान्तरणा खोले जाकर रेकार्ड में अमल दरामद हुआ हो तो उसे भी निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा तहसील घड़साना के चक 7 के. एच.एम. के प.न. 235/39 के कि0नं. 1 से 21 की 21 बीघा भूमि को अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर